



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052023-246125
CG-DL-E-27052023-246125

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ज्येष्ठ 4, 1945

No. 2331]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2023

का.आ. 2325(अ).—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा इस अधिनियम के तहत, नीचे दी गई तालिका कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अधिकारी होने के नाते, एक वैधानिक प्राधिकरण या सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समकक्ष होने के नाते, एस्टेट अधिकारी की नियुक्ति करती है और सार्वजनिक परिसर की स्थानीय सीमा को परिभाषित करते हुए उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट, जिसके संबंध में, उक्त संपदा अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करेगा।

तालिका

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसरों और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं की श्रेणियों
(1)	(2)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संबंधित उप निदेशक (प्रशासन)	परिसर जो संबंधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नियंत्रण में हैं और
(i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल,	भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना,
(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर,	रायपुर, ऋषिकेश, मंगलगिरी, नागपुर,
(iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर,	बठिंडा, कल्याणी, बिलासपुर, गोरखपुर,
(iv) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना,	रायबरेली, बीबीनगर, देवघर, राजकोट,
(v) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर,	गुवाहाटी, विजयपुर, मदुरै और
(vi) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश,	अवंतीपोरा में स्थित है।
(vii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलगिरी,	

(viii)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर,	
(ix)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बठिंडा,	
(x)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी,	
(xi)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर,	
(xii)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर,	
(xiii)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली,	
(xiv)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबीनगर,	
(xv)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर,	
(xvi)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट,	
(xvii)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी,	
(xviii)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विजयपुर,	
(xix)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मदुरै,	
(xx)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा	

[फा. सं. जेड-28016/35/2023-पीएमएसएसवाई-IV]

अंकिता मिश्रा बंडेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2023

S.O. 2325(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of All India Institute of Medical Sciences, a statutory authority and being equivalent to the rank of a Gazetted officer of Government, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, and defines the local limits of public premises as specified in column (2) of the said Table, in respect of which, the said Estate Officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act.

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Deputy Director (Administration) of respective AIIMS	All the premises which are under the control of All India Institute of Medical Sciences whether situated in Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Patna, Raipur, Rishikesh, Mangalagiri, Nagpur, Bathinda, Kalyani, Bilaspur, Gorakhpur, Raebareli, Bibinagar, Deoghar, Rajkot, Guwahati, Vijaypur, Madurai, and Awantipora
(i) AIIMS Bhopal,	
(ii) AIIMS Bhubaneswar,	
(iii) AIIMS Jodhpur,	
(iv) AIIMS Patna,	
(v) AIIMS Raipur,	
(vi) AIIMS Rishikesh,	
(vii) AIIMS Mangalagiri,	
(viii) AIIMS Nagpur,	
(ix) AIIMS Bathinda,	
(x) AIIMS Kalyani,	
(xi) AIIMS Bilaspur,	
(xii) AIIMS Gorakhpur,	
(xiii) AIIMS Raebareli,	
(xiv) AIIMS Bibinagar,	
(xv) AIIMS Deoghar,	
(xvi) AIIMS Rajkot,	
(xvii) AIIMS Guwahati,	
(xviii) AIIMS Vijaypur,	
(xix) AIIMS Madurai,	
(xx) AIIMS Awantipora	

[F. No. Z-28016/35/2023-PMSSY-IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.